

न्यायालय, अपर जिला जज, कोर्ट संख्या-03, बिजनौर।  
पीठासीन अधिकारी:- प्रशान्त मित्तल, उच्चतर न्यायिक सेवा. UP06174

लघुवाद सं0-14/2020

अनुपम विजय गुप्ता उर्फ अनुपम विजय बनाम नूर मुजम्मिल आदि

01-05-2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थनापत्र ग-98 पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

प्रार्थनापत्र ग-98 प्रतिवादी की ओर से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद की पत्रावली की तैयारी करते समय यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उक्त वाद में प्रतिवादी द्वारा जो प्रार्थनापत्र ग-65 प्रस्तुत किया गया है, उक्त प्रार्थनापत्र में आलरेडी उल्लेखित तथ्यों के अलावा दावा वादी के कथनानुसार किराये पर दी गई सम्पत्ति के अलावा कथित तौर से अन्य सम्पत्ति जिसे वादी किराये पर देना उल्लेखित नहीं करता है, में कथित तौर से अतिक्रमण की बाबत भी योजित किया गया है जिसकी बाबत कानूनन लघुवाद में दावा दायर नहीं किया जा सकता है। उक्त महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य जो आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रार्थनापत्र में जो पूर्व में प्रस्तुत किया गया था, लिखाये जाने से रह गया है जिसकी बाबत प्रार्थनापत्र ग-65 में संशोधन करने की अनुमति न्यायहित में दिया जाना आवश्यक है। इन तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र ग-65 में संशोधन किए जाने की याचना की गई है। उक्त प्रार्थनापत्र के समर्थन में ग-99 शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर वादी की ओर से आपत्ति ग-100 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थनापत्र गलत एवं असत्य कथनों के साथ विधि एवं नियम विरुद्ध तरीके से गुजारा गया है। प्रार्थनापत्र संशोधन से प्रार्थनापत्र ग-65 की प्रकृति परिवर्तित होती है। वादी ने अपने वादपत्र में किसी अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में कोई वाद योजित नहीं किया है, बल्कि प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा अपनी दुकान के अस्थायी लकड़ी/एल्युमिनियम/लोहे के काउन्टर को कुल रमेश सुपर बाजार वादी के ग्राहकों आदि के आवागमन के रास्ते को तंग करने के कारण उसकी क्षति पूर्ति धनवाद के रूप में अन्य अनुतोषों के साथ चाही गई है और प्रतिवादीगण को प्रार्थनापत्र ग-65 में इस संबंध में कोई भी संशोधन कराने का अधिकार नहीं है। प्रस्तावित संशोधन अत्यधिक लम्बा एवं अनावश्यक है जिसको संशोधन करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रतिवादीगण ने आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का प्रार्थनापत्र ग-65 लगभग 1 वर्ष 4 माह पूर्व प्रस्तुत किया था और अब इतने विलम्ब से उक्त प्रार्थनापत्र में संशोधन कराने की याचना की है जो दुर्भावना से ग्रसित होना स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। धनवाद, जो प्रश्नगत दुकान के काउन्टर व प्रश्नगत दुकान से संबंधित आवागमन के रास्ते के संबंध में है, उक्त संबंध में क्षतिपूर्ति के रूप में धनवाद के अनुतोष को चाहने का पूर्ण अधिकार वादी को है और इस संबंध में संशोधन कराने की कोई अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। प्रार्थनापत्र संशोधन प्रार्थनापत्र ग-65 के पूर्व कथनों के विपरीत है। प्रार्थनापत्र संशोधन प्रार्थनापत्र ग-65 के पूर्व कथनों से विपरीत है जिसे प्रतिवादी मौन स्वीकृति को समाप्त कराना चाहता है। संशोधन प्रार्थनापत्र पर प्रतिवादी सं0 2 ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इन तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र प्रतिवादी निरस्त किए जाने की याचना की गई है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रतिवादी द्वारा यह प्रार्थनापत्र, प्रार्थनापत्र ग-65 अर्न्तगत आदेश 7 नियम 10 व 11 दं0प्र0सं0 में संशोधन किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी प्रार्थनापत्र के माध्यम से

जिन तथ्यों को प्रार्थनापत्र ग-65 में समावेशित कराना चाहता है, उससे प्रार्थनापत्र ग-65 आदेश 7 नियम 10 व 11 सी0पी0सी0 की प्रकृति परिवर्तित नहीं होती है। वॉछित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। जहाँ तक वादी का यह तर्क है कि प्रतिवादी द्वारा वॉछित संशोधन प्रार्थनापत्र देरी से प्रस्तुत किया गया है, तो इस संबंध में प्रतिवादी पर हर्जा अधिरोपित करके वादी की देरी की प्रतिपूर्ति करायी जा सकती है। उपरोक्त परिस्थितियों में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ग-98 हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

### आदेश

प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ग-98 अंकन 500/-रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी प्रार्थनापत्र ग-65 में वॉछित संशोधन अन्दर 03 दिन करे तथा हर्जा नियत दिनांक से पूर्व अदा किया जाए। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 06.05.2025 को पेश हो।

दिनांक: 01-05-2025

(प्रशांत मित्तल)  
अपर जिला जज  
कोर्ट सं0-03, बिजनौर।